छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2004-2005

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	श्रीमती रेणुका सिंह
सचिव	श्री सुनील कुमार कुजूर

विभाग के अधीन अन्य उपकम

छत्तीसगढ़ महिला कोष

पदेन अध्यक्ष	श्रीमती रेणुका सिंह
पदेन कार्यपालक निदेशक	श्री सुनील कुमार कुजूर

छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

अध्यक्ष	श्रीमती विनोदिनी मिश्रा

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष	श्रीमती सुधा वर्मा

महिला एवं बाल विकास विभाग
सामान्य परिचय

प्रस्तावना

महिलाओं का विकास और कल्याण तथा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास किसी भी समाज, प्रदेश व राष्ट्र के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसकी धुरी पर संपूर्ण विकास केन्द्रित होता है। अत: महिलाओं और बच्चों के संवैधानिक हितों के संरक्षण तथा उनके सर्वांगीण विकास और कल्याण के उद्देश्य से उनके विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है।

विभाग के दायित्व

1. प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक,स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के शारीरिक,मानसिक,बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना,कुपोषण से बचाना।
3. महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाना।
4. प्रदेश मे विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना।
5. महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय।

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग की संरचना

विभागीय संरचना

मंत्रालय

सचिव

↓

उप सचिव

↓

अवर सचिव

↓

अनुभाग अधिकारी

↓

लिपिकीय अमला

संचालनालय
महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

आयुक्त/संचालक (आई.ए.एस.)

- राज्य संसाधन के संचालक(1 पद) (12000-16500)
  - उप संचालक (1 पद) (10000-15200)
    - सहायक संचालक (6 पद) (8000-13500)
    - प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी(1 पद) (8000-13500)
      - अन्य लिपिकीय एवं अलिपिकीय अमला (8 पद)
- संयुक्त संचालक (2 पद) (12000-16500)
  - उप संचालक (3 पद) (10000-15200)
    - सहायक संचालक (5 पद) (8000-13500)
    - लेखाधिकारी (2 पद) (8000-13500)
    - सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (2 पद) (5500-9000)
      - अन्य लिपिकीय एवं अलिपिकीय अमला (32 पद)

वर्ष 2004-05 का बजट एक समग्र विश्लेषण

विभागीय बजट वर्ष 2004-05 के विश्लेषण हेतु दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. आयोजनेततर बजट
2. आयोजना बजट

1. आयोजनेत्तर बजट -

वित्तीय वर्ष 2004-05 में विभाग को राजस्व मद में कुल 349.25 लाख रूपये का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर माह दिसबंर 2004 तक 127.89 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

2. आयोजना बजट -

आयोजना मद में राजस्व व्यय के अंतर्गत विभागीय मांग संख्या 2235-2236 के अंतर्गत 16854.28 लाख रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर दिसबंर 2004 तक 8843.02 रूपये की राशि व्यय कर ली गई है । उपरोक्त प्रावधानों व व्यय के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों, परियोजना कार्यालय सह गोदाम तथा जिला स्तरीय संसाधन केन्द्रय के निर्माण एवं सुधार के लिये शीर्ष 4235 के अंतर्गत कुल 1100 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध व्यय विवरण के आधार पर दिसबंर 2004 तक राशि व्यय नहीं की गई है ।

उपरोक्त बजट प्रावधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त बजट प्रावधान भी सम्मिलित है । आयोजना बजट के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं का बजट प्रावधान भी सम्मिलित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आईसीडीएस परियोजना / स्वयंसिद्धा/ बालिका समृद्धि योजना/ प्रशिक्षण तथा सूचना शिक्षा संचार के अंतर्गत 8161.97 लाख रूपये का बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसबंर 2004 तक 3887.69 लाख रूपये व्यय किये गये है । इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 858.75 लाख रूपये के बजट के प्रावधान के विरूद्ध दिसबंर 2004 तक 405.92 लाख रूपये व्यय हुए है ।

वित्तीय प्रावधान एवं प्रगति

आयोजनेत्तर बजट

अनुक्रमांक	योजना/गतिविधियों का नाम	कुल प्रावधान (राशि लाख रू. में)	व्यय स्थिति दिसबंर 04 तक (राशि लाख रूपये में)
अ.	**राजस्व अनुभाग**		
1	निर्देशन प्रशासन	183.60	60.79
2	बाल कल्याण	69.05	33.70
3	महिला कल्याण	56.60	26.49
4	विविध अनुदान	7.00	0.19
5	अन्य व्यय	10.00	4.62
	योग	**326.25**	**125.79**
ब.	विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	23.00	2.1
	योग	23.00	2.10
	योग आयोजनेत्तर	**349.25**	**127.89**

आयोजना बजट

अनुक्रमांक	योजना/गतिविधियों का नाम	कुल प्रावधान (राशि लाख रू.में)	व्यय स्थिति दिसबंर 04 तक (राशि लाख रूपये में)
अ.	**राजस्व अनुभाग**		
1	बाल कल्याण	7795.07	3891.70
2	महिला कल्याण	701.00	48.19
	योग	**8496.07**	**3939.89**
ब.	**पोषण आहार कार्यक्रम**		
1	न्यूनतम क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	3075.00	2429.04
2	आदिवासी क्षेत्र में विशेष पोषण आहार	2123.46	1684.13
3	नगरी गंदी बस्तियों में विशेष पोषण आहार	651.00	217.88
4	मिनीमाता कार्यक्रम	550.00	166.16
5	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पोषण आहार कार्यक्रम	858.75	405.92
	योग	**7258.21**	**4903.13**
7	आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर पूंजीगत व्यय	1100.00	0.00
	योग आयोजना	**16854.28**	**8843.02**

विभागीय योजनाएँ/कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ
समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

परिचयः-

भारत सरकार ने वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 की आबादी पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय कर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए उचित आधार प्रदान करना, कमजोर वर्ग की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक करना एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए सक्षम बनाना है। इसके लिये समन्वित रूप से निम्न सेवायें आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाती है:-

- ➢ शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- ➢ टीकाकरण
- ➢ स्वास्थ्य जांच
- ➢ संदर्भ सेवा
- ➢ स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
- ➢ पूरक पोषण आहार

इसके लक्षित हितग्राही हैं:-

- ➢ 0-6 वर्ष के बच्चे,
- ➢ किशोरी बालिका,
- ➢ गर्भवती महिला,
- ➢ शिशुवती महिला।

छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाओं का विस्तारः-

छत्तीसगढ़ राज्य में सभी 146 विकासखण्डों में समेकित बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 6 शहरी क्षेत्रों में भी बाल विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इस प्रकार प्रदेश में कुल 152 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत अब 20289 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। 152 समेकित बाल विकास परियोजनाओं में से 79 बाल विकास परियोजनाओं को भारत शासन के माध्यम से विश्व बैंक आईसीडीएस-।।। की सहायता प्राप्त हो रही है तथा 73 बाल विकास परियोजनाएँ केन्द्र शासन व्दारा पोषित है। इन आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में कुल 23.80 लाख बच्चे तथा 5.94 लाख गर्भवती व धात्री महिलाएं (नवंबर 2004 के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर) विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षित हैं।

1. आंगनवाड़ी भवन निर्माण:-

पक्के आंगनवाड़ी भवनों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं की उपलब्धियों का काफी गहरा संबंध है। उचित भवनों में हितग्राही रूचिपूर्वक सेवाओं का लाभ प्राप्त करते है। राज्य शासन द्वारा अधिकाधिक संख्या में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि जिला स्तर पर आवंटित कर दी जाती है एवं भवनों की स्वीकृति व भौतिक प्रगति इस प्रकार है:-

क.	योजना का नाम	स्वीकृत भवन				योग	पूर्ण	निर्माणाधीन
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05			
1.	नाबार्ड की सहायता से स्वीकृत							
	अ. सामान्य क्षेत्रों में	0	0	600	0	600	241	359
	ब. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में	0	0	456	0	456	145	311
	स. विशेष घटक योजना क्षेत्रों में	0	0	144	0	144	57	87
2.	आदिवासी उपयोजना मद से स्वीकृत	81	793	400	500	1774	716	1058
3.	विशेष घटक योजना मद से स्वीकृत	0	12	400	0	412	167	245
4.	विश्व बैंक आईसीडीएस-।।। की सहायता से	0	0	405	0	405	152	253
	योग	**81**	**805**	**2405**	**500**	**3791**	**1478**	**2313**

उपरोक्त स्वीकृति उपरांत प्रदेश में कुल स्वीकृत 20289 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लगभग 55 प्रतिशत केन्द्रों में आंगनवाड़ी भवन निर्मित / निर्माणाधीन हैं । आगामी वर्षो में अधिकाधिक संख्या में भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यरत अमले को प्रशिक्षित करने तथा उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत शासन के सहयोग से उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश मे संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं। उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 7 प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन अशासकीय संस्थाओं व्दारा तथा 3 प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3. गुणवत्तात्मक सुधार हेतु अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

उदिशा प्रशिक्षण परियेाजना के अंतर्गत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक कार्यक्रमों की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2001-02 में नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण, मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा मासिक व्यय विवरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण, पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, बच्चों में विकलांगता की शीघ्र पहचान किये जाने हेतु प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं एवं ए.एन.एम. तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं दाई के विभिन्न संयुक्त प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में परियोजना का लाभ प्राप्त करने हेतु भारत शासन से अन्य विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमों की स्वीकृति प्राप्त की गई हैं एवं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भिक तौर पर चयनित प्रदेश के 6 जिलों में आयोजित किया गया । मुख्यत: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, गर्भवती, धात्री एवं संकटग्रस्त श्रेणी की महिलाओं की देखभाल, ग्राम स्तरीय संसाधनीय नक्शा तैयार करने तथा समुदाय आधारित वृद्धि निगरानी करने तथा विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान व देखभाल संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में भी द्वितीय चरण में पुन: प्रदेश के शेष 10 जिलों में सृजनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । मुख्यत: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, गर्भवती, धात्री एवं संकटग्रस्त श्रेणी की महिलाओं की देखभाल, ग्राम स्तरीय संसाधनीय नक्शा तैयार करने तथा समुदाय आधारित वृद्धि निगरानी करने तथा विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान व देखभाल संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

4. आई.सी.डी.एस में अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी

प्रदेश में निम्न बाल विकास परियोजनाएं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है:-

क्र	परियोजना का नाम	संस्था का नाम
1	एकीकृत बाल विकास परियोजना ओरछा,बस्तर	विवेकानंद इन्स्ट्रीटयूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विस (विश्वास) नारायणपुर बस्तर।
2.	एकीकृत बाल विकास परियोजना,लुन्ड्रा सरगुजा	रायगढ़ अंबिकापुर हेल्थ एसोशिएशन (राहा) पत्थलगांव जिला रायगढ़

5. राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र व क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान

वित्तीय वर्ष 2004-05 में एक राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र व दो क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान (बिलासपुर एवं जगदलपुर) की स्वीकृति प्राप्त है ।राज्य स्तरीय संस्थान केन्द्र के पद संरचना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा दो क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के पद संरचना की सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है ।

6. किशोरी शक्ति योजना

यह योजना 11-18 वर्ष की बालिकाओं के लिये हैं। इसके अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी में संलग्न कर मातृत्व के लिये तैयार करने हेतु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर

आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की यथासम्भव व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 में योजना के साथ किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण अंतर्गत हिमोग्लाबिन, सिकलसेल टेस्ट कराये जाने का प्रावधान है । साथ ही किशोरी बालिकाओं में रचनात्मक रूप से सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु स्वसहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवों में बाल विकास के नारे लेखन इत्यादि कार्यों को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है । भारत शासन की स्वीकृति अनुसार यह योजना वर्तमान में सभी 152 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में लागू है। किशोरी शक्ति योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

7. स्वयंसिद्धा - (एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम)

महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना भारत शासन की स्वीकृति से प्रदेश के चयनित 17 विकासखंडों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखंड में 100 महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियॉं आयोजित की जा रही हैं। 17 विकासखण्डों में योजना अनुरूप गठित 1708 महिला स्वसहायता समूहों में 21841 महिलाओं को जोड़ा गया है एवं इनके पास 76.21 लाख रूपये की राशि बचत के रूप में उपलब्ध है। 10946 महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां भी प्रारम्भ कर दी गई हैं।

पोषण आहार कार्यक्रम

समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पोषण आहार की व्यवस्था

एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं की आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली मुख्य सेवाओं में से पूरक पोषण आहार की सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। पूरक पोषण आहार विशेष रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती व शिशुवती माताओं को दिया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की निर्धारित मात्रा 80 ग्राम जिसमें मानक स्तर पर 300 कैलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा निहित होती है, दिया जाता है एवं गर्भवती-शिशुवती माताओं को यही मात्रा दुगुनी अर्थात 160 ग्राम प्रति हितग्राही प्रतिदिन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कुल 152 बाल विकास परियोजनाएँ हैं। इनमें से 50 (ग्रामीण) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था, 06 (शहरी) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है, शेष 96 (ग्रामीण) परियोजनाएँ केयर पोषित हैं। इनमें भारत शासन स्तर पर गठित जी.ई.ए.सी. कमेटी का क्लियरेंस प्राप्त न होने से केयर खाद्यान्न प्रदाय में उत्पन्न व्यवधान के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् भारत शासन के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाकर खाद्यान्न की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि हितग्राही बच्चे एवं महिलाएँ पोषण आहार कार्यक्रम से वंचित न रहने पायें। इन 96 (ग्रामीण) परियोजनाओं में केयर द्वारा सलाद तेल निःशुल्क, वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में 146 (ग्रामीण) बाल विकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत दलिया तथा 6 शहरी परियोजनाओं एवं 2 विशेष पोषण आाहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत 152 बाल विकास परियोजनाओं में लगभग 6 माह से 6 वर्ष के आयु तक के 14 लाख बच्चों तथा 3.53 लाख गर्भवती-शिशुवती माताओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं।

मिनीमाता पोषण आहार योजना

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत योजना आयोग भारत शासन व्दारा प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 40 किलोग्राम से कम वजन की गर्भवती/शिशुवती माताओं तथा 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क प्रति माह 6 किलों अनाज प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाता है। योजना के तहत् लगभग 90 हजार हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है।

दिनांक 21.1.03 को जिला सरगुजा में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही कुल 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 4 किलो अनाज पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार करना, उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थो का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है। योजना का क्रियान्वयन जनवरी

2003 से प्रारंभ कर दिया गया है।योजना के क्रियान्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में जिले को 204 लाख रू. का आबंटन दिया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के संबंध में योजना आयोग, भारत शासन से निरंतर पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत शासन की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू की गयी है। यह योजना स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम से संबंधित 56 बाल विकास परियोजनाओं (शहरी/ग्रामीण) तथा दो विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (राजनांदगांव/सरगुजा) में लागू की गयी है। योजना के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व में प्रदान किये जा रहे पोषण आहार के अतिरिक्त, टेक होम राशन के रूप में 80 ग्राम रेडी टू ईट पोषण आहार प्रतिदिन प्रतिहितग्राही के मान से साप्ताहिक रूप से 480 ग्राम पोषण आहार सीलबंद पॉलीपैक में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अंतर्गत 405.92 लाख रूपये व्यय जिलों द्वारा किया जा चुका है। योजना के तहत् 6 माह से 3 वर्ष के लगभग 3.41 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखने हेतु अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने बाबत योजना आयोग, भारत शासन से निरंतर इस संबंध में पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

आयरन फोर्टिफाईड साल्ट

महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित पोषण आहार कार्यक्रम में आयरन फोर्टिफाईड साल्ट का प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए राज्य की ग्रामीण परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को आयरन फोर्टिफाईड साल्ट वर्ष 2003-04 से प्रदाय किया जा रहा है । इसके अंतर्गत प्रतिहितग्राही को प्रतिमाह 500 ग्राम के मान से आयरन फोर्टिफाईड साल्ट, टेक होम राशन की पद्धति से प्रदाय किया जा रहा है । इस योजनांतर्गत लगभग 14 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभांवित किया जा रहा है ।

राज्य की पोषण आहार नीति

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से समन्वय करते हुए एक समग्र पोषण आहार नीति तैयार की गई है ।

सामाजिक विकास शाखा

आयुष्मति योजना

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को ईलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड स्तरीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी महिला को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400.00 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000.00 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा के तहत ईलाज,दवा,पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। रोगी महिला के साथ आये परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है।

वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 तक इस योजना अंतर्गत 7130 महिलाएं लाभांवित हुई हैं तथा उन्हें 18.89 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

बालिका समृद्धि योजना

बालिका शिशु तथा उसकी माता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी पहली दो बालिकाओं के जन्म पर, बालिकाओं के नाम पर 500.00 रूपये की राशि का फिक्स डिपाजिट किया जाता है। यह राशि बालिका व विभागीय अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाती है। इस केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षो से भारत सरकार से ग्रांट की राशि अप्राप्त थी । भारत शासन से जनवरी 2005 के प्रथम सप्ताह में 393.90 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई है जिससे पिछले वर्षो में राज्य शासन द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति पश्चात शेष राशि से हितग्राहियों को लाभांवित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

इस योजना के तहत गरीब बालिकाओं को जिनकी पढ़ाई का खर्च पालकों द्वारा वहन किया जाना कठिन होता है, ऐसी बालिकाओं के लिए सक्षम व्यक्तियों/समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हें शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनको निरन्तर शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाता है। योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 तक 39913 बालिकाएँ लाभांवित हुई है।

महिला जागृति शिविर

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उददेश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना है। वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 तक 470 जागृति शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 165273 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा इन शिविरों पर राशि रूपये 21.87 लाख का व्यय हुआ है।

जवाहर बाल विकास केन्द्र को अनुदान

नेहरू शताब्दी वर्ष में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए नारायणपुर जिला बस्तर में बाल विकास केन्द्र का संचालन रामकृष्ण मिशन आश्रम के माध्यम से आरम्भ किया गया था, जो वर्तमान में भी संचालित है। इस केन्द्र के संचालन हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 तक अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में 5 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । केन्द्र के माध्यम से 100 बच्चों (50 बालक एवं 50 बालिकाओं) को लाभान्वित किया जा रहा है।

अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान

महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य गतिविधियों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र, बालवाड़ी, पुस्तकालय आदि के संचालन के लिए आवर्ती मद में 33.3 प्रतिशत तक एवं अनावर्ती मद में कुल व्यय का 50 प्रतिशत सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अपंगों, विकलांगों तथा नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवर्ती तथा अनावर्ती लागत के 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी संस्थाओं को मान्यता के अधिकार विभागाध्यक्ष एवं अनुदान स्वीकृति के अधिकार विभाग प्रमुख/कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिये गये है। प्रदेश में 69 विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वयंसेवी संस्थायें महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जाता है।

महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन

महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी-छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु तथा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व-सहायता समूहों का गठन प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। दिसंबर 2004 की स्थिति में प्रदेश में विभाग द्वारा लगभग 65313 महिला स्वसहायता समूह गठित किये गये है जिसके माध्यम से लगभग 7.91 लाख महिलाएँ संगठित हुई है। समूह के सदस्यों द्वारा अब तक लगभग रूपये 20.00 करोड़ की राशि जमा की गई है ।

शासकीय संस्थाएं

नारी निकेतन

16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके नि:शुल्क परिपालन व पुर्नवास के लिए प्रदेश में रायपुर, दुर्ग एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। संस्था में इन महिलाओं के नि:शुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुर्नवास की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 की स्थिति में इन संस्थाओं में 23 महिलाएं एवं 4 बच्चे निवासरत है।

शासकीय बाल संरक्षण गृह

कुष्ठ रोगियों के 18 वर्ष आयु तक के स्वस्थ बच्चों को उनके माता-पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इस संस्था में उन्हें आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। प्रत्येक केन्द्र में 50 बालक/बालिका के रहने की व्यवस्था है। प्रदेश में 5 बाल संरक्षण गृह क्रमश: बालकों के लिए जांजगीर, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है। वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 की स्थिति में 71 बालिकाएँ तथा 122 बालक इन संस्थाओं में निवासरत है।

शासकीय झूलाघर

निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में 2 शासकीय झूलाघर क्रमश: बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित किये जा रहे है। इन झूलाघरों के माध्यम से वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 की स्थिति में 51 बच्चें लाभान्वित हो रहे है।

<u>बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र</u>

वर्तमान में प्रदेश में 06 वर्ष आयु तक के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए 02 शासकीय बालवाड़ी सह-संस्कार केन्द्र क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है। केन्द्र के माध्यम से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2004-05 में माह दिसंबर 2004 की स्थिति में 67 बच्चें तथा 30 महिलाऐं लाभान्वित हो रही है।

<u>मातृ-कुटीर</u>

इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण निर्मित करना है ताकि बच्चों को धात्री माँ का व महिला को बच्चो का स्नेह मिल सके। संस्था माँ एवं बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही है। बच्चे वयस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर तथा राजनांदगांव में मातृ कुटीर संचालित है जिसके माध्यम से 5 बच्चे लाभान्वित हो रहे है।

<u>केन्द्र शासन की अन्य योजनायें</u>

<u>कामकाजी महिलाओं के लिए महिला वसति गृह</u>

अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ता एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र शासन द्वारा बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल भवनों (महिला वसतिगृह) के निर्माण/विस्तार हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता भूमि लागत के 50 प्रतिशत अंश तथा हॉस्टल भवन के निर्माण की लागत के 75 प्रतिशत अंश तक प्रदान की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 8 महिला वसति गृहों का संचालन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से 202 महिलायें लाभान्वित की जा रही है। चार प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है ।

<u>अल्पकालीन आवास गृह</u>

योजना का उद्देश्य पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण तथा अन्य कारणों से नैतिक खतरों से ग्रस्त महिलाओं को अस्थाई आवास तथा पुर्नवास उपलब्ध कराना है। योजना अंतर्गत स्वैच्छिक अशासकीय स्वयंसेवी संगठन, तत्कालीन प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, स्थानीय निकाय अथवा समय-समय पर परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य निकायों को सहायक अनुदान अनावर्ती मद में रूपये 451350.00 तथा रूपये 401350.00 आवर्ती मद (वार्षिक) में उपलब्ध कराया जाता है। योजनांतर्गत चार प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है ।

स्वाधार

यह योजना विपत्ति ग्रस्त महिलाओं की सहायता एवं पुर्नवास हेतु प्रारम्भ की गई है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार, उसके अधीन उपक्रमों, स्थानीय नगरीय निकायों, प्रतिष्ठित लोक/निजी न्यासों अथवा स्वैच्छिक संगठनों व्दारा किया जा सकता है। योजना अन्तर्गत विभिन्न घटकों में यथा भूमि क्रय, भवन निर्माण, स्वाधार केन्द्र के प्रबंधन, अन्त:वासियों के भोजन, आश्रय, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श सेवाओं, पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण, हेल्प लाइन सुविधा आदि हेतु सहायता शामिल है। यह सहायता किसी विशिष्ट घटक हेतु अथवा समग्र रूप से परियोजना के रूप में प्राप्त की जा सकती है। योजनांतर्गत दो प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है ।

राष्ट्रीय शिशुगृह योजना

योजनांतर्गत 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चो को दिवस देखभाल सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनो, महिला मंडलो तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संचालित की जाती है ।योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मासिक आय 1800/-रूपये से कम है, कृषि श्रमिको के बच्चे, अजा/अजजा जनजाति वर्ग के बच्चे, रोजगारोन्मुखी योजनाओ जैसे स्टेप/नोराड में कार्यरत महिलाओ के बच्चे तथा साम्प्रदायिक दंगो के शिकार परिवारो के बच्चे सहायता/लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

योजना अंतगर्त सामान्य शिशुगृह केन्द्रों तथा आंगनबाड़ी-सह-शिशुगृह केन्द्रो के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य

महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिये जनसाधारण को कानूनों एवं उनके प्रवर्तन की जानकारी देने के उद्‌देश्य से संचालित इस योजना, के तहत कानूनी साक्षरता शिविर, परा-कानूनी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, प्रचार सामग्री, संगोष्ठियॉं तथा कार्यशालायें आयोजित करने तथा महिलाओं के साथ हिंसा पर अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है।

स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में ऐसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जो विभाग के अन्य किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, के लिए, विभिन्न अभिकरणों यथा स्वैच्छिक संगठन/संस्थान,विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थायें, जिनमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय प्राधिकरणों/सहकारी संस्थाओं के द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित संस्थायें एवं संगठन शामिल है, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । आवर्ती तथा अनावर्ती मद में अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत संबंधित अभिकरणों को वहन करना होता है । योजनांतर्गत छत्तीसगढ़

महिला कोष का महिला स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु 531.60 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है ।

<u>स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता</u>

महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के केन्द्रीय कार्यालयों की अनुरक्षण लागत की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत संबंधित संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है ताकि उनकी गतिविधियों को निपुणतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से चलाया जा सके ।

राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन दिनांक 24.3.2001 को किया गया है । माननीय श्रीमती सुधा वर्मा आयोग की अध्यक्ष तथा श्रीमती शकुंतला सिंह एवं श्रीमती हेमलता साहू सदस्य नियुक्त की गई है ।

<u>आयोग का कार्यः-</u>

(अ) आयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थातः-

- महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना ।
- राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर, जैसा कि आयोग उचित समझे, ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- संवधिान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लघंन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना ।
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना ।
- ऐसे मुकदमों को धन देना, जिनमें ऐसे मुद्दे अन्तर्वलित है जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है ।

- निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना :-

  1. राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, इसमें विशिष्टतया आदिवासी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है ।
  2. वे परिस्थितियां जिनमें महिलाएं कारखानों, स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसी ही अन्य स्थितियों में कार्य करती है और उक्त क्षेत्रों में महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार हेतु विशिष्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश करना ।

  - राज्य में या चुने हुए क्षेत्रों में, महिलाओं के विरूद्ध उन समस्त अपराधों की, जिनके अंतर्गत महिलाओं के विवाह तथा दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित मामले तथा प्रसव करवाने या नसबंदी करवाने के समय चिकित्सीय उपेक्षा, गर्भधारण या शिशु जन्म से संबंधित चिकित्सीय हस्तक्षेप के मामलों में समय-समय पर जानकारी संकलित करना ।
  - महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध संपूर्ण राज्य में या विर्निदिष्ट क्षेत्रों में लोकमत जुटाने के लिए राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठों, यदि कोई हों, के साथ समन्वय करना जिससे ऐसे अत्याचारों संबंधी अपराध की शीघ्र रिपोर्ट की जाने तथा पता लगाये जाने और ऐसे अपराधों के विरूद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिलेगी ।

- निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना :-
  1. महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरूद्ध अपराध ।
  2. महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकारों से वंचित करना ।
  3. महिलाओं के संबंध में, राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन न किया जाना ।
  4. परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं और वैश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई महिलाओं का पुनर्वास ।
  5. ऐसी महिलाओं पर जो अभिरक्षा में है, अत्याचार और उन्हें समुचित उपचारी उपाय के लिए संबद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना।

- निर्धन महिलाओं को विधिक परामर्श देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना ।
- किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा में रखने के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उपचारी कार्यवाही के लिए संबंद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना ।

- किसी अन्य ऐसे मामले के संबंध में कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड गठन किया गया है । श्रीमती विनोदनी मिश्रा को छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा अधिसूचना क्रमांक/ 121-7/690/2003/ मबावि/26-1, दिनांक 26.6.2003 द्वारा राज्य छत्तीसगढ़ समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिए 18 सदस्यों को नामांकित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण नीति

छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक बहुआयामी महिला सशक्तिकरण नीति तैयार कर लागू की है।नीति के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- महिलाओं के विकास की संपूर्ण संभावनाओं के अनुरूप तथा उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दृष्टि से उपयुक्त वातावरण का निर्माण ।
- आर्थिक संसाधनों, जिनमें वन, सार्वजनिक संपत्तियॉं, भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन भी शामिल है, तक उनकी पहुँच के लिए समान अवसर उन्हें उपलब्ध कराना ।
- राज्य के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना ।
- स्वैच्छिक संस्थाओं तथा महिला समूहों को विकास प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहल करने की दृष्टि से राज्य ने निम्नलिखित विशेष प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्धारण किया है :-

- संवेदनशील वैधानिक एवं संस्थात्मक तंत्र की स्थापना ।
- आर्थिक विकास में महिलाओं की समान भागीदारी के दृष्टिकोण को शामिल किया जाना ।
- सामाजिक विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण ।

अन्य विविध कार्यवाहियाँ

राज्य वीरता पुरस्कार :-

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमत्ता के लिए पुरूस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार नियम अधिसूचना दिनांक 31.5.04 द्वारा लागू कर दिये गये है । योजना का कियान्वयन राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से किया जावेगा । पुरस्कार के तहत 10 हजार रूपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ।

महिला उत्पीड़न निवारण समितियों का गठन :-

प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओ की सतत् मॉनिटरिंग करने, महिला अत्याचार के विरूद्ध कारगर कार्यवाही करने एवं पीड़ित महिलाओं को समुचित मार्गदर्शन व सहायता दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठन के निर्देश राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 29.4.2004 के द्वारा जारी कर दिये गये है ।

सभी जिलों में महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित की जा चुकी है । इसके साथ ही समिति के लिए मार्गदर्शी निर्देश भी जारी किये गये जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज राजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत किया गया है। कोष के शासी बोर्ड की पदेन अध्यक्ष मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग है। शासी बोर्ड में महिलाओं के आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख विभागों के सचिव भी सदस्य के रूप में सम्मिलित है। कोष के पदेन कार्यपालक निदेशक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग है।

कोष के लक्ष्य एवं उद्देश्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है :-

- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये ऐसी गतिविधियों का संचालन करना/करवाना जिससे महिला/समूह को वित्त पोषण, प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके तथा उन्हें बढ़ावा मिल सके ।
- आत्म निर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समूह के गठन में पहल तथा सहभागिता ।
- विद्यमान शासकीय तंत्र को संवेदनशील एवं महिला उन्मुख बनाना तथा वित्तीय संस्थाओं तक महिलाओं की पहुँच/उनमें भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ऋण और उसके उचित प्रबंधन, ऋण पद्धतियों का विकास/प्रसार तथा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु अनुसंधान, अध्ययन विश्लेषण करना/कराना ।
- महिला संगठनों/संस्थाओं/स्वसहायता समूह के बीच आपसी सहयोग के तंत्र को प्रोत्साहित करना, उनके बीच अनुभव तथा जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना ताकि उनमें अपनी समस्याओं के निवारण हेतु समूहिक प्रयास का कौशल विकसित किया जा सके ।
- अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थानों, केन्द्र शासन/राज्य शासन एवं स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा संपोषित/संचालित महिलाओं के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करना/कार्यान्वयन में सहयोग करना ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2003 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसमें आवश्यक संशोधन कर इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की बचत राशि का 4 से 10 गुना अथवा अधिकतम 5000/- रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे स्वसहायता समूहों को जिन्होंने पूर्व के प्रकरणों का भुगतान कर दिया है उन्हें पुनः ऋण वितरण की सीमा 20000/- तक बढ़ा दी गई है ।

योजना के तहत स्वैच्छिक संगठन को 8 प्रतिशत एवं स्वयं सहायता समूहों को 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। कोष के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने हेतु अब तक 89.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

स्वशक्ति परियोजना

छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से संचालित इस परियोजना का उद्देश्य स्वसहायता दलों के गठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु उपयुक्त वातावरण का सृजन और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है। यह परियाजना विश्व बैंक, अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष तथा केन्द्र शासन के सहयोग से जनवरी 2002 से जून 2005 तक के लिए संचालित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत राशि रूपये लगभग 460.00 लाख है। यह परियोजना प्रदेश के तीन जिलों क्रमशः बिलासपुर, रायपुर तथा राजनांदगांव में 14 अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से 19 विकासखंडों के 391 ग्रामों में संचालित की जा रही है। दिसंबर 2004 तक लक्ष्य अनुरूप 560 महिला स्वसहायता समूह गठित किये जा चुके है ।